सार्वजनिक न्यास (Public Trust) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न\

१. सार्वजनिक न्यास क्या है?

सामान्य जनता के लाभ के लिए या किसी विशिष्ट धर्मार्थ कार्य (जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि) के लिए संपत्ति या धन का प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया गया न्यास, सार्वजनिक न्यास कहलाता है।

२. सार्वजनिक न्यास किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं?

भारत में सार्वजनिक न्यासों को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक अधिनियम निम्नलिखित हैं -

• महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम १९५० (The Maharashtra Public Trust Act 1950) - पूर्व में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट (राज्य-विशिष्ट सार्वजनिक न्यास अधिनियम)।

• धर्मार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम १९२० (The Charitable and Religious Trusts Act 1920)।

• सोसायटी पंजीकरण अधिनियम १८६० (The Societies Registration Act 1860) - कई संगठन और सार्वजनिक न्यास, विशेष रूप से शिक्षा, कल्याण या साहित्यिक उद्देश्यों के लिए, कंपनियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Companies) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करके सोसायटियों के रूप में पंजीकृत होना चुनते हैं।

३. सार्वजनिक न्यास बनाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?

सार्वजनिक न्यास के गठन के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं -

क) सार्वजनिक न्यास बनाने का एक स्पष्ट इरादा।

ख) एक निर्दिष्ट उद्देश्य (लक्ष्य)।

ग) कॉर्पस (मूल पूंजी)।

घ) सार्वजनिक न्यास के दायरे, विश्वस्तों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाला एक वैध न्यासपत्र।

४. क्या सार्वजनिक न्यास को रद्द या बंद किया जा सकता है?

नहीं... एक बार सार्वजनिक न्यास बन जाने के बाद, यह अपरिवर्तनीय और अंतिम होता है। ट्रस्टियों के निर्णय के बाद, धर्मादाय आयुक्त की मंजूरी से न्यास की संपत्ति को समान उद्देश्यों वाले किसी अन्य न्यास में स्थानांतरित किया जा सकता है।

५. क्या किसी विश्वस्त को हटाया जा सकता है?

हाँ, सक्षम प्राधिकारी यानी महाराष्ट्र में चैरिटी कमिश्नर (धर्मादाय आयुक्त) के पास खातों में लगातार चूक, विश्वासघात, न्यास की संपत्तियों के गबन आदि के लिए किसी विश्वस्त को निलंबित या बर्खास्त करने की शक्तियां हैं।

६. क्या सार्वजनिक न्यास विदेशी दान स्वीकार कर सकता है?

हाँ, लेकिन भारत में, कानूनी रूप से धन स्वीकार करने और उसका उपयोग करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

७. पंजीकृत न्यास के लिए कौन से कर लाभ उपलब्ध हैं?

पंजीकृत सार्वजनिक न्यास आमतौर पर विशिष्ट कर प्रावधानों (यानी धारा 12A/12AB और धारा 80G) के लिए आवेदन करते हैं जो धन के उपयोग के लिए आयकर छूट प्रदान करते हैं और दाताओं को सार्वजनिक न्यास में उनके दान पर कर कटौती का दावा करने की अनुमति देते हैं।

८. क्या सार्वजनिक न्यास को लाभ कमाने की अनुमति है?

हाँ, लेकिन वे "गैर-लाभ वितरण" वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि उत्पन्न किसी भी लाभ को ट्रस्टियों या सदस्यों को लाभांश के रूप में वितरित करने के बजाय पूरी तरह से न्यास के धर्मार्थ उद्देश्यों में पुनर्निवेश किया जाना चाहिए।

९. सार्वजनिक न्यास का विश्वस्त कौन बन सकता है?

ट्रस्टियों का कानूनी रूप से वयस्क होना और अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। अवयस्क विश्वस्त के रूप में कार्य नहीं कर सकते। विदेशियों या अनिवासी भारतीयोंको आमतौर पर प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें सख्त स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन नियमों का पालन करना होगा।

१०. एक सार्वजनिक न्यास में ट्रस्टियों की संख्या कितनी होती है?

भारत में, एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के लिए न्यूनतम दो ट्रस्टियों की आवश्यकता होती है और अधिकतम सदस्यों की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। पंजीकरण के समय न्यासपत्र में ही न्यूनतम और अधिकतम ट्रस्टियों, उनके चयन के तरीके आदि की रूपरेखा स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए।